(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्यान्नों पर राज सहायता का लाभ

899. श्री राम नरेश यादव : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों पर कितने करोड़ रुपये की राजसहायता प्रदान की गई और क्या सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन किया है कि राज सहायता का लाभ वही व्यक्ति अर्थात् लघु तथा सीमान्त किसानों तक पहुंचे; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : भारतीय खाद्य निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नानुसार खाद्यान्नों के लिए राजसहायता प्रदान की गई थी :—

वर्ष	(करोड़ रुपयों में)
1988-89	2200
1989-90	2476 (चीनी सहित)
1990-91	2450 (चीनी सहित)

भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को खाद्यान्नों के लिए कोई सीधी राजसहायता मुहैया नहीं करती है । तथापि, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि और सहकारिता मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित कुछ योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है । इस योजना के अधीन किसानों को राजसहायता मुहैया करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है । चूंकि किसानों को खाद्यान्नों के लिए सीधे कोई राजसहायता नहीं दी जाती है, इसलिए उसके बारे में कोई अध्ययन करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की भर्ती

900. श्री राम नरेश यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेल सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपेक्षित प्रतिनिधित्व दिया गया है ; यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में उनका कितना प्रतिशत है ; क्या उनके कोटे को भरने के लिये कोई विशेष भर्ती अभियान चलाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 1-4-1990 को, रेल सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का ग्रुप-वार प्रतिशत इस प्रकार है :—

ग्रुप	प्रतिशत	
	अ० जा०	अ०ज०जा०
"ए"	11.88	3.75
"बी"	16.95	3.86
"सी"	15.33	4.68
"डी" (सफाई वालों को छोड़कर)	18.52	6.64
कुल मिलाकर	16.71	5.53